न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : डॉ. बजरंग सिंह, आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी संख्या : 68/2022

जीसीएमएस नम्बर : 2022/138

प्रार्थीगणः–	बनाम	अप्रार्थीगण :–
पुराराम पुत्र कुकाराम के कायम मुकाम 1/1 बिनादेवी पत्नी स्व. पुराराम 1/2 सुखाराम पुत्र स्व. पुराराम 1/3 विनोद पुत्र स्व. पुराराम 1/4 कंचन पुत्री स्व. पुराराम 1/5 करिश्मा पुत्री स्व. पुराराम 1/6 वंशिका पुत्री स्व. पुराराम जतिगण गुर्जर निवासीगण पाचुण्डा खुर्द तहसील सोजत जिला पाली राजस्थान (1/6 वंशिका नाबालिग जरिये कुदरती वलिया माता 1/1 बिनादेवी)		1. हेमाराम पुत्र प्रतापजी 2. श्रवण पुत्र गुणेशजी 3. हजारी पुत्र भूराजी जातियान गवारिया राठौड़ निवासीगण ग्राम पाचुण्डाखुर्द तहसील सोजत जिला पाली 4. ग्राम पंचायत सियाट जरिये सरपंच ग्राम पंचायत सियाट तहसील सोजत जिला पाली राज. 5. ग्रुप सचिव ग्राम पंचायत सियाट तहसील सोजत जिला पाली

"पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994"

उपस्थिति :–

1. प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री गजेन्द्र दवे, श्री महावीर प्रसाद मेवाड़ा।
2. अप्रार्थी संख्या 1 से 3 की ओर से अधिवक्ता श्री श्याम सुन्दर पंचारिया।

–: निर्णय :–

दिनांक : 29/12/2025

प्रार्थीगण की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 के तहत ग्राम पंचायत सियाट द्वारा मिसल संख्या 52 दिनांक 05.04.2006, प्रस्ताव संख्या 7 एवं उसकी पालना में जारी पट्टे के विरूद्ध पेश की है। निगरानी दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा ग्राम पंचायत का रेकर्ड तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 5 व 6 वक्त बहस अनुपस्थित होने से प्रकरण में उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

अधिवक्ता प्रार्थीगण ने दौराने बहस कथन किया कि ग्राम पाचुण्डाखुर्द में प्रार्थी का पुश्तैनी, कब्जासूदा भूखण्ड आया हुआ है, जिसके पड़ौस पूर्व दिशा में नागणेची माता चबूतरा व रास्ता, पश्चिम दिशा में आम रास्ता, उत्तर दिशा में रास्ता एवं दक्षिण दिशा में नागणेची माता चबूतरा जाने का रास्ता स्थित है, जो कि ग्राम पंचायत के आबादी क्षेत्र में स्थित है। अप्रार्थीगण द्वारा गवारिया समाज की कुलदेवी भूमि पुश्तैनी पूर्वजों से करीब 200 वर्षों से पूजन योग्य चबूतरा बना हुआ है, जिसका आस पास भूमि का यथावत माप चौक, बाउण्ड्री निर्माण की स्वीकृति सहित प्रार्थना प्रस्तुत किया, जिसमें पड़ौस पूर्व दिशा में भुण्डाराम गुर्जर व प्रभुराम पुत्र पूनाराम वगैरा का

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

अति. जिला कलेक्टर, पाली

मकान, पश्चिम में आम रास्ता व डामर रोड़, उत्तर दिशा में रामलाल पुत्र मगाजी गुर्जर और दक्षिण दिशा में सदीक खां मोयला वगैरा अंकित है। इसके बावजूद ग्राम पंचायत ने उक्त पड़ौस से भिन्न पड़ौस का जैर निगरानी पट्टा जारी किया, जिसमें प्रार्थीगण का कब्जासुदा भूखण्ड को भी शामिल कर दिया। ग्राम पंचायत ने पूर्व से लिखी हुई मिसल से जैर निगरानी पट्टा जारी कर दिया। उक्त पट्टा सार्वजनिक के तौर पर जारी किया गया लेकिन मिसल में पुश्तैनी कब्जा सुदा मकान के तथ्य अंकित है। अप्रार्थी के आवेदन और मिसल के कथनों में विरोधाभाष है। उक्त भूमि पर नागणेची माता का मन्दिर होते हुए भी ग्राम पंचायत ने विधिविरूद्ध तरीके से नियम 157(ख) के तहत पुराने गृहों का विनियमितिकरण के तहत उक्त पट्टा जारी कर दिया, जिसमें न तो नक्शे पर हस्ताक्षर है, न पंचों की नियुक्ति की है, न ही नोटिस जारी किया और न ही बयान लिये गये है। ग्राम पंचायत ने पंचायती राज नियमों में वर्णित प्रावधानों को दूषित करते हुये विधिविरूद्ध तरीके से जैर निगरानी पट्टा जारी किया है, जिसे खारिज फरमावे।

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 से 3 ने दौराने बहस अधिवक्ता प्रार्थीगण के कथनों का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि जैर निगरानी आराजी पर अप्रार्थीगण के समाज गवारिया राठौड गौत्र के व्यक्तियें की कुलदेवी नागणेची माता का मन्दिर बना हुआ है, जिस पर वर्तमान में चबुतरा स्थित है तथा मौके पर निर्माण सामग्री डलवायी हुई है। प्रार्थीगण ने हमारी पट्टा सुदा आराजी पर अवैध रूप से अतिक्रमण कर रखा है, जिसके सम्बन्ध में हमारे द्वारा विकास अधिकारी सोजत के समक्ष शिकायत प्रस्तुत करने पर मौका निरीक्षण दिनांक 14.06.2022 में पाया कि अप्रार्थी की पट्टासुदा भूमि पर प्रार्थी द्वारा जबरन कांटों की बाड कर अन्दर झोपडी बना दी गई है। जैर आराजी के सम्बन्ध में सिविल न्यायालय में वाद विचाराधीन है। अप्रार्थी समाज द्वारा अपनी कुलदेवी के मन्दिर की भूमि का पट्टा बनाने हेतु ग्राम पंचायत के समक्ष विधिवत आवेदन पेश किया एवं मन्दिर मूर्ति सास्वत नाबालिग होती है, जिनके हितों की रक्षा एवं उनकी आवास की भूमि की सुरक्षा उनके उपासक एवं उनके अनुयाईयों द्वारा की जाती है चूंकि मूर्ति सास्वत नाबालिग है इसलिये उनका मन्दिर ही उनका निवास स्थान होता है इसलिये ग्राम पंचायत ने अप्रार्थी समाज की कुलदेवी माताजी के आवास एवं उनके निवास का पुश्तैनी भूमि का पट्टा जारी किया। ग्राम पंचायत के समक्ष अप्रार्थी द्वारा विधिनुसार आवेदन पेश किया, जिस पर ग्राम पंचायत ने नक्शा तैयार कर तीन पंचों की उपस्थिति में मौका निरीक्षण कर आपत्ति नोटिस जारी किया और गवाहों के बयान लेकर विधिनुसार जैर निगरानी पट्टा जारी किया है। प्रार्थीगण जैर निगरानी याचिका की आड़ में केवल अपने अतिक्रमण को प्रोटेक्ट कर रहे है, जो असंगत है। प्रार्थीगण ने बिना किसी विधिक आधारों के लगभग 24 वर्ष के बाद जैर निगरानी याचिका पेश की है, जिसे खारिज फरमावे।

हमने उभयपक्ष की श्रवणसुदा बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। जैर निगरानी ग्राम पंचायत सियाट द्वारा मिसल संख्या 52 दिनांक 05.04.2006, प्रस्ताव संख्या 7 एवं उसकी पालना में जारी पट्टे के विरूद्ध पेश की है। प्रकरण में अधिवक्ता प्रार्थी ने निवेदन किया कि वे

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

अति. जिला कलेक्टर पाली

जैर निगरानी याचिका के जरिये हेमाराम, श्रवण, हजारी, भीकाराम, शिवलाल के पक्ष में बने पट्टे एवं उसमें पारित प्रस्ताव को निरस्त करवाने का अनुतोष चाहा था परन्तु उक्त याचिका में मिसल संख्या और प्रस्ताव संख्या तो सही दर्ज है लेकिन त्रुटि से पट्टा संख्या 48 की जगह बुक संख्या 90 अंकित हो गया, जिसे दुरूस्त फरमावे। प्रकरण में प्रार्थी ने पट्टा संख्या 90 को निरस्त करवाने हेतु निगरानी याचिका पेश की है परन्तु उक्त पट्टे का वास्तविक पट्टा संख्या 48 है और पट्टे की बुक संख्या 90 है इसलिये पट्टे पर 48/90 दिनांक 06.10.2008 अंकित है। प्रकरण में अधिवक्ता प्रार्थी की मूल मंशा मिसल संख्या 52/2006–07, प्रस्ताव संख्या 07 दिनांक 06.10.2007 एवं उसकी पालना में जारी पट्टा संख्या 48 को चुनौती देना था और उसी अनुरूप उनके द्वारा दस्तावेज भी पेश किये गये। अतः हस्तगत प्रकरण में न्यायालय की अर्न्तनिहित शक्तियों का प्रयोग करते हुये प्रकरण के गुणावगुण पर निस्तारण हेतु अधिवक्ता प्रार्थी का निवदेन स्वीकार किया जाता है।

अधिवक्ता अप्रार्थी का दौराने बहस मुख्य उज्र यह था कि प्रार्थीगण ने जैर निगरानी याचिका लगभग 24 वर्ष के बाद प्रस्तुत की है, जो कि म्याद बाहर होने से खारिज योग्य है। अधिवक्ता प्रार्थी ने विपक्षी अधिवक्ता के कथन का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि प्रार्थी को जानकारी होने पर नियत समय में उक्त निगरानी पेश की है तथा जब ग्राम पंचायत द्वारा पंचायतीराज नियमों की अवहेलना करते हुये विधिविरूद्ध तरीके से पट्टा जारी किया गया हो, तो वहां पर समयसीमा बाध्यकारी नहीं होती है। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 में धारा 97 के तहत निगरानी प्रस्तुत करने हेतु स्पष्ट समय सीमा का अंकन नहीं है इस सम्बन्ध में माननीय न्यायालय ने न्यायिक दृष्टान्त 2000 (2) RLW 911 (FB) Raj. High Court Chimna lal vs State of Rajasthan and others में यह प्रतिपादित किया है कि When no period of limitation is provided then in our opinion the same has to be exercised within a reasonable time and that will depend upon facts and circumstances of each case like ; (i) when there is fraud played by the parties; (ii) the orders are obtained by mis-representation or collusion with public officers by the private parties; (iii) Orders are against the public interest; (iv) the orders are passed by the authorities who have no jurisdiction; (v) the order are passed in clear violation of rules or the provisions of the Act by the authorities; and (vi) void orders or the orders are void ab initio being against the public policy or otherwise. The common law doctrine of public policy can be enforced wherever an action affects/offends the public interest or where harmful result of permitting the injury to the public at large is evident. In such type of cases, revisional powers can be exercised by the authority at any time either suo moto or as and when such orders are brouth to their notice. इसी प्रकार अन्य न्यायिक दृष्टान्त 2018(2)DNJ (Raj.) 497 Usha Jugtawat vs State of Rajasthan Thro' Additional District Collector (Land Conversion) Jodhpur & Ors. में यह यह उल्लेख किया कि No limitation for exercising the revisional jurisdiction if pattas were issued in illegal manner and committing fraud. साथ ही न्यायिक दृष्टान्त 2015 (1) DNJ 443 Looni Devi & 10 Ors. vs State of Rajasthan & Ors. के

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

अति. जिला कलेक्टर, पाली

अनुसार "Allotment obtained by playing fraud is void and no limitation for setting aside of such void allotment." राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 में निगरानी से सम्बन्धित कोई विशेष समय सीमा या सीमित समय का उल्लेख नहीं है। हस्तगत प्रकरण में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त 2000 (2) RLW 911 (FB) Raj. High Court में प्रतिपादित सिद्धान्त अनुसार जब किसी अधिनियम में कोई सीमा अवधि प्रदान नहीं की गई है, तो वह प्रकरण के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगा तथा वर्णित 6 प्रकार की कार्रवाई को अवैध माना एवं इस प्रकार के मामलों में, प्राधिकरण द्वारा किसी भी समय पुनरीक्षण शक्तियों का प्रयोग किया जा सकता है या जब भी ऐसे आदेश उनके ध्यान में लाए जाते है। साथ ही में विद्वान वकील के इस तर्क पर आते हुए कि लगभग 24 वर्ष के अस्पष्ट विलम्ब के बाद जारी किए गए जैर निगरानी पट्टे को चुनौती देने के लिए दायर याचिका को केवल इसी आधार पर खारिज कर दिया जाना चाहिए था, यह कहना पर्याप्त है कि किसी वैध अधिकार के बिना प्राप्त जैर निगरानी पट्टे को रद्द करने के लिए सक्षम प्राधिकरण के रास्ते में कोई सीमा नहीं आनी चाहिए। इसलिये प्रकरण में म्याद कण्डोन करते हुये निगरानी श्रवणार्थ ग्रहण करते है।

अधिवक्ता प्रार्थीगण का दौराने बहस मुख्य उज्र यह था ग्राम पंचायत ने प्रार्थी की कब्जा सुदा भूमि का सम्मिलित करते हुये जैर निगरानी पट्टा जारी करवा दिया। अधिवक्ता अप्रार्थी ने उक्त कथन का विरोध करते हुये निवेदन किया कि प्रार्थी ने अप्रार्थी की पट्टा सुदा भूमि में अवैध रूप से अतिक्रमण किया है, जो विकास अधिकारी की मौका रिपोर्ट से भी प्रमाणित है। हस्तगत प्रकरण में यह विधिक प्रश्न प्रकट होता है कि क्या जैर निगरानी पट्टा प्रार्थी की कब्जासुदा भूमि को सम्मिलित करते हुये जारी किया गया है अथवा प्रार्थी द्वारा पश्चातवर्ती पट्टे सुदा आराजी पर अतिक्रमण किया गया है ? इस तथ्य की पुष्टि हेतु ग्राम पंचायत से प्राप्त मिसल का अवलोकन करने पर पाते है कि ग्राम पाचुण्डा खुर्द में स्थित गवारियों समाज की कुलदेवी चबूतरा मन्दिर के भूमि पर बाउण्ड्री निर्माण हेतु अप्रार्थी के समाज के व्यक्तियों द्वारा आवेदन पेश किया गया, जिसमें अंकितानुसार ".....ग्राम पाचुण्डा खुर्द की सरहद रोड व निम्न पडौसियों के बीच गवारीया समाज की कुलदेवी भूमि पुश्तैनी पूर्वजों से करीबन 200 वर्ष से पूजन योग्य देव स्थान है....., जिसका आपके कार्यालय द्वारा मिशन मौका देख दिलावे ताकि समय पर निर्माण कार्य चालू करवाने की मदद हो सके। पड़ौस –

पूर्व में– श्री हीराराम गुजर व प्रभूराम पुत्र पूनाराम वगैरा का मकान बाडा
पश्चिम में – आम रास्ता डामर रोड
उत्तर में – रामलाल पुत्र मगाजी गुजर गोर वगैरा
दक्षिण में – श्री सदीक खॉ मोयला व उत्तर दक्षिण आम रास्ता है।

इसके अतिरिक्त भीकाराम, हेमाराम, शिवलाल द्वारा ग्राम पंचायत के समक्ष गवारिया समाज सार्वजनिक माताजी मन्दिर नागणेची सार्वजनिक भीकाराम, शिवलाल, डायाराम, श्रवण/गणेशजी, हजारी/भुराजी ने पक्ष में पट्टा बनाने का आवेदन पेश किया जिसके पड़ौस में पूर्व दिशा में आम रास्ता, पश्चिम दिशा में डामर

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

अति. जिला कलेक्टर. पाली

रोड, उत्तर दिशा में रास्ता व रामाराम पुत्र मिश्रीलाल गुजर का प्लाट तथा दक्षिण दिशा में रास्ता अंकित है। उक्त दोनों प्रार्थना–पत्रों में भीकाराम व शिवलाल के हस्ताक्षर कॉमन है। साथ ही अधिवक्ता अप्रार्थी ने अपने लिखित जवाब के पैरा संख्या 3 में यह अंकित किया कि अप्रार्थी समाज द्वारा निर्माण स्वीकृति बाबत् आवेदन दिया, जो आवेदन तद्समय पट्टा मिसल के साथ गलत संलग्न हो गया और प्रभुराम स्वयं ने अपना अतिक्रमण हटा दिया और अन्य पड़ौसी अतिक्रमियों ने भी अपनी की गई बाड़ को हटा दिया। प्रकरण में ग्राम पंचायत के समक्ष प्रस्तुत निर्माण स्वीकृति के आवेदन में गवारिया समाज की कुलदेवी के मन्दिर की भूमि के चारों ओर के पड़ौस स्पष्ट रूप से अंकित किए गए है। यह तथ्य अत्यन्त महत्वपूर्ण है, क्योंकि कोई भी आवेदक निर्माण अनुमति मांगते समय उसी व्यक्ति का नाम पड़ौस में अंकित करता है, जो उस समय मौके पर वास्तविक रूप से कब्जाधारी होता है। दोनों आवेदनों में भीकाराम एवं शिवलाल के हस्ताक्षर कॉमन हैं। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि आवेदकों को भूमि की सीमाओं, पड़ौस तथा मौके की स्थिति का पूर्ण ज्ञान था। अतः यह नहीं कहा जा सकता कि पड़ौस का उल्लेख त्रुटिवश या अनजाने में किया गया। साथ ही अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा अपने लिखित जवाब में स्वीकारोक्ति इस तथ्य की पुष्टि करती है कि आवेदन प्रस्तुत किए जाने के समय प्रभूराम व अन्य का कब्जा मौके पर विद्यमान था, अन्यथा अतिक्रमण हटाने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। यदि प्रभूराम व अन्य व्यक्तियों का कब्जा हाल ही का या अवैध रूप से पश्चातवर्ती होता, तो समाज द्वारा निर्माण स्वीकृति हेतु प्रस्तुत आवेदन में उनके नामों को पड़ौस के रूप में अंकित करने का कोई औचित्य नहीं था। ऐसी स्थिति में सीधे जैर निगरानी पट्टे में अंकित पड़ौसों के अनुसार ही आवेदन दिया जाता। अतः पडौसों का उल्लेख स्वयं कब्जे की प्राचीनता का संकेत देता है। इसके अतिरिक्त निर्माण स्वीकृति हेतु प्रस्तुत आवेदन में अंकित पड़ौस तथा जैर निगरानी पट्टे में अंकित पड़ौस आपस में मेल नहीं खाते है। यह विरोधाभास इस बात की आरे संकेत करता है कि जैर निगरानी पट्टा तैयार करते समय मौके की वास्तविक स्थिति, विद्यमान कब्जों एवं पूर्व अभिलेखों का समुचित सत्यापन नहीं किया गया। उपर्युक्त समस्त तथ्यों के समग्र परीक्षण से प्रथमदृष्टया यह तथ्य स्थापित होता है कि प्रश्नगत भूमि पर प्रभूराम एवं अन्य व्यक्तियों का कब्जा जैर निगरानी पट्टा जारी होने से पूर्व से विद्यमान था एवं जैर निगरानी पट्टा ऐसे पड़ौस के साथ जारी किया गया है जो वास्तविक कब्जा स्थिति से भिन्न हैं। अतः यह पूर्णतः सम्भाव्य है कि जैर निगरानी पट्टा प्रार्थीगण की कब्जासुदा भूमि को सम्मिलित करते हुए जारी किया गया हो, न कि यह कि प्रार्थी द्वारा प्रश्चातवर्ती रूप से पट्टासुदा आराजी पर अतिक्रमण किया हो। उपरोक्त समस्त तथ्य अधिवक्ता प्रार्थी के कथन का समर्थन करते है।

अधिवक्ता प्रार्थी का दौराने बहस अन्य उज्र यह था कि नियम 157(ख) के तहत पुराने गृहों के विनियमितीकरण में ग्राम पंचायत को केवल 300 वर्गगज तक के ही पट्टे देने का अधिकार है लेकिन ग्राम पंचायत ने 3500 वर्गफीट का जैर निगरानी पट्टा जारी कर दिया। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1996 की धारा 157 का उद्देश्य पुराने गृहों के विनियमितीकरण का है तथा उक्त नियम में ग्राम

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

अति. जिला कलेक्टर, पाली

पंचायत द्वारा निर्धारित दरों पर 300 वर्गगज की सीमा निर्धारित की गई है। जिन मामलों में क्षेत्रफल 300 वर्गगज से अधिक है वहां जिला स्तरीय समिति द्वारा अनुशंसित दरों पर पट्टा होना चाहिए जो कि वर्तमान मामलें में निश्चित रूप से नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत माननीय न्यायालय द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त 21(1) WLC (Raj.) 164 Lalit Kumar vs The State of Rajasthan के अनुसार राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994, धाराये 97, 146, 157–पट्टे के रद्दकरण की अस्वीकृति–औचित्य–पट्टा प्रत्यार्थियों के पूर्वजों के पक्ष में निर्गत प्रत्यर्थी अपने कब्जे के नियमितीकरण की मांग कर रहे–पट्टा 711 वर्गगज के लिये निर्गत जबकि नियम 157 के अन्तर्गत पट्टा 300 वर्गगज से अधिक के लिये निर्गत नहीं किया जा सकता, विशेषकर जबकि भूमि ग्राम पंचायत की होने का अथवा प्रत्यर्थियों का कोई पुराना आवास वहां होने का कोई न्याय निर्णय नहीं है–भूमि यदि विवादग्रस्त हो तो उस पर कब्जे के नियमितीकरण के लिये नियम 157 का आश्रय नहीं लिया जा सकता–पट्टा निरस्त किया–एकल न्यायाधीश और जिलाधीश के आदेश अभिखण्डित किये गये। इसी प्रकार माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने न्यायिक दृष्टान्त 2020(1) DNJ (Raj.) 201 Kushal Singh Rajpurohit vs State of Rajasthan Thro' Secsretary Department Panchayati Raj, Jaipur & Ors. में वर्ष 2007 में ग्राम पंचायत द्वारा जारी 300 वर्गगज से अधिक क्षेत्रफल के पट्टे को निरस्त करते हुये यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया कि "राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 – नियम 157 के तहत निर्धारित क्षेत्रफल 300 वर्गगज से अधिक क्षेत्रफल का पट्टा जारी नहीं किया जा सकता है।" उक्त नियम में ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा जारी किए जाने हेतु क्षेत्रफल की स्पष्ट अधिकतम सीमा निर्धारित की गई है, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि विनियमितीकरण की प्रक्रिया सीमित, नियंत्रित एवं राजस्व हितों के अनुरूप रहे। इसके अतिरिक्त वर्तमान प्रकरण में ग्राम पंचायत द्वारा लगभग 3500 वर्गफुट क्षेत्रफल का जैर निगरानी पट्टा जारी किया गया है, जो नियम 157(ख) में वर्णित अधिकतम सीमा से स्पष्ट रूप से अधिक है, इससे पंचायत को प्राप्त होने वाले वैधानिक राजस्व में भी हानि हुई है, जो यह दर्शाता है कि ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा जारी करते समय नियमों के उद्देश्य एवं सीमाओं की अवहेलना की गई है, जो स्पष्ट रूप से विधिक प्रावधानों का उल्लंघन है।

जैर निगरानी याचिका में प्रश्नगत आज्ञा एवं उसकी पालना में जारी पट्टा राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(ख) के तहत जारी किया गया है। हस्तगत प्रकरण में पट्टा जारी किये जाने के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत द्वारा जो प्रक्रिया अपनाई गई है, उसमें राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 140 से 157 में विहित प्रावधानों की पूर्ण पालना का अभाव पाया गया हैं। ग्राम पंचायत के समक्ष अप्रार्थी द्वारा पट्टा जारी करवाने हेतु जो प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया, उस पर प्रश्नगत भूमि का क्षेत्रफल अंकित नहीं है और न ही भूमि का कोई नक्शा संलग्न है, साथ ही आवेदन–पत्र पर किसी प्रकार की दिनांक का उल्लेख भी नहीं किया गया है, जिससे यह स्पष्ट नहीं होता कि आवेदन कब प्रस्तुत किया गया। इसके अतिरिक्त प्रार्थना पत्र में अंकित किया कि नक्शा फीस रूपये 25/– साथ में पेश है परन्तु उक्त

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

अति. जिला कलेक्टर पाली

राशि वास्तव में कब, किस माध्यम से एवं किस रसीद संख्या के अन्तर्गत जमा कराई गई, इसका कोई अभिलेख अथवा प्रमाण रिकॉर्ड पर उपलब्ध नहीं है। न ही ग्राम पंचायत के अभिलेखों में शुल्क जमा होने के सम्बन्ध में कोई प्रविष्टि पाई गई है। जैर निगरानी आज्ञा से सम्बन्धित मिसल का अवलोकन करने पर यह प्रकट होता है आदेशिक दिनांक 20.05.2007, जो कि प्रथम आदेशिका थी, के द्वारा प्रश्नगत भूमि का नक्शा बनाने हेतु सचिव को निर्देशित किया गया, परन्तु नक्शे पर सायल के हस्ताक्षर नहीं है। आदेशिका दिनांक 21.06.2007 के द्वारा तीन पंचों द्वारा मौका निरीक्षण किये जाने के आदेश दिये गये किन्तु किन तीन पंचों द्वारा मौका निरीक्षण किया जायेगा, उन्हें नामित नहीं किया गया। विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि जब किसी कार्यवाही को विशेष व्यक्तियों (पंचों) द्वारा सम्पन्न कराया जाना हो, तो उन व्यक्तियों का स्पष्ट नामांकन आदेश में किया जाना आवश्यक है केवल यह लिख देना कि तीन पंचों द्वारा मौका निरीक्षण किया जाये, पर्याप्त नहीं है। मौका निरीक्षण पर तीन व्यक्तियों के हस्ताक्षर पूर्व नामांकन का स्थानापन्न नहीं हो सकते। बिना नामांकन के यह निश्चित नहीं किया जा सकता कि ये वहीं पचे थे जिनसे निरीक्षण करवाया जाना था अथवा वे निष्पक्ष एवं अधिकृत पंच थे। जहां विधि किसी कार्य को निश्चित प्रक्रिया से करने का प्रावधान करती है, वहा उस प्रक्रिया का कठोरता से पालन किया जाना आवश्यक है। प्रक्रिया का उल्लंघन होने पर की गई कार्यवाही विधिसम्मत साक्ष्य का रूप नहीं ले सकती। ऐसी स्थिति में मौका रिपोर्ट की सम्पूर्ण कार्रवाई सन्देहास्पद हो जाती है।

हस्तगत प्रकरण में अभिलेख के अवलोकन से यह तथ्य प्रकट होता है कि अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र में यह दर्शाया गया है कि गवारिया समाज सार्वजनिक माताजी मन्दिर नागणेची सार्वजनिक के नाम से भूमि का पट्टा बनाए जाने का उल्लेख करते हुए उक्त भूमि पर अधिपत्य पुश्तैनी मन्दिर चबूतरा निर्माण होना दर्शाया गया है परन्तु इसके विपरीत, सम्पूर्ण मिसल के परीक्षण से यह स्पष्ट होता है कि अभिलेखों में पुश्तैनी कब्जासुदा मकान/आवासी उपयोग की भूमि का पट्टा बनाए जाने से सम्बन्धित तथ्य अंकित है, न कि केवल सार्वजनिक मन्दिर का। यह स्पष्ट विरोधाभास आवेदन पत्र के कथन एवं अभिलेखीय तथ्यों के मध्य असंगति को दर्शाता है। साथ ही अप्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि मन्दिर की मूर्ति सास्वत नाबालिग होती है अतः उसका मन्दिर पुश्तैनी निवास माना जाता है और इसी आधार पर ग्राम पंचायत द्वारा मिसल में पुश्तैनी कब्जा के तथ्य अंकित किये तथापि, अभिलेखों के अवलोकन से यह तथ्य स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है कि ग्राम पंचायत द्वारा किसी भी आदेशिका में यह अंकित नहीं किया गया कि मन्दिर मूर्ति को नाबालिग मानते हुये विचार किया गया अथवा भूमि को मूर्ति का निवास–स्थल मानकर पुश्तैनी घोषित किया गया। यदि वास्तव में ग्राम पंचायत मूर्ति को नाबालिग होने के सिद्धान्त को स्वीकार करते हुए निर्णय लेती तो यह अनिवार्य था कि उक्त विधिक आधार को मिसल में स्पष्ट, तर्कपूर्ण एवं अभिलेखीय रूप से दर्ज किया जाता, जो कि नहीं किया गया। हस्तगत प्रकरण में यह तथ्य भी अत्यन्त महत्वपूर्ण है कि समस्त दस्तावेजों अनुसार आवेदन पत्र में भीकाराम, शिवलाल, डायाराम, श्रवण पुत्र गणेशजी, हजारी पुत्र भुराजी आदि व्यक्तियों के नाम केवल समाज के प्रतिनिध के रूप में अंकित

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

अति. जिला कलेक्टर, पाली

है, न कि व्यक्गित स्वामित्व या आवासीय पट्टे के आवेदक के रूप में और आवेदन पत्र में भूमि प्राप्त करने का अभिप्राय सार्वजनिक नागणेची का स्थल का उल्लेख है, जबकि वास्तविक रूप से पट्टा हेमाराम, श्रवण, हजारी, भीकाराम, शिवलाल आदि व्यक्तिगत सदस्यों के नाम से जारी किया गया है और पट्टे में कही भी यह अंकित नहीं है कि भूमि सार्वजनिक मन्दिर से सम्बन्धित है। ऐसी स्थिति में अधिवक्ता प्रार्थी का उक्त कथन प्रमाणित नहीं होने से स्वीकार योग्य नहीं है। इसके अतिरिक्त प्रकरण में यह भी तथ्य सामने आता है कि अप्रार्थी के निर्माण स्वीकृति प्रार्थना पत्र, गवाहों के बयान, मौका निरीक्षण रिपोर्ट में 100 वर्ष से पुराना कब्जा होना बताया है परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा आदेशिका दिनांक 20.07.2007 में प्रार्थी का पुश्तैनी कब्जा 35, 40 वर्ष से स्वयं का होना दर्शाया गया है, जो न केवल अभिलेखों में उपलब्ध साक्ष्यों से असंगत है, बल्कि स्वयं ग्राम पंचायत की मौका रिपोर्ट के प्रतिकूल भी है। उक्त विरोधाभास यह दर्शाता है कि ग्राम पंचायत द्वारा मिसल में उपलब्ध वास्तविक एवं प्रासंगिक तथ्यों का सम्यक परीक्षण एवं स्वतंत्र रूप से मूल्यांकन नहीं किया गया, अपितु पूर्व से संधारित अभिलेखों/मिसल के आधार पर ही यांत्रिक रूप से जैर निगरानी पट्टा जारी किए जाने सम्बन्धी आदेश पारित कर दिए गए। इस सम्बन्ध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त 2012 (2) RLW(RJ) 1091 Dhrampal Singh vs Additional District Collector के अनुसार Rajasthan Panchayat Raj Rules, 1996, Rule 157 read with Rule 146 - Allotment bade by Village Panchayat-Not following the requirements of Rule 157-Additional Collector cancelled the allotment-Held-The village Panchayat had failed to follow the procedure prescribed for allotment or take into consideration the preconditions for invoking Rule 157 of the 1996 Rules. Petition dismissed. इसी प्रकार 2009 0 WLC 759 Babu singh vs State of Rajasthan & Others. के अनुसार Rajasthan Panchayat Raj Act, 1994-S.97-The patta issuing order of the collector has been quashed as the order has been made in violation of the rules-The collector has exercised his power superficially in this mater which is not acceptable-Resolution for issuing the Patta has been set aside. हस्तगत प्रकरण मिसल के संलग्न बयान से यह तथ्य स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है कि एक कथित बयान पत्र पर तीन–चार व्यक्तियों के संयुक्त रूप से हस्ताक्षर अंकित है परन्तु उक्त बयान के सम्बन्ध में यह कहीं भी स्पष्ट नहीं किया गया है कि बयान वास्तव में किस व्यक्ति के द्वारा दिया गया है। विधिक एवं प्रक्रियात्मक दृष्टि से प्रत्येक बयान का व्यक्तिगत रूप से लिया जाना आवश्यक होता है, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि बयानकर्ता की पहचान, कथन एवं उत्तरदायित्व स्पष्ट से अभिलेख पर दर्ज हो। ऐसे बयान विधिसम्मत व्यक्तिगत साक्ष्य के रूप में नहीं माने जा सकते है। इसके अतिरिक्त जैर निगरानी पट्टे पर, पट्टा संकल्प संख्या 7 दिनांक 06.10.2008 के अनुसरण में जारी होना अंकित किया है जबकि मिसल के अनुसार उक्त पट्टा प्रस्ताव संख्या 7 दिनांक 06.10.2007 के द्वारा जारी किया गया है, पट्टा निर्गमन की तिथि का स्पष्ट एवं सही होना अत्यन्त आवश्यक तथ्य है। उपरोक्त समस्त तथ्यों से यह सुस्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा आवंटन के सामान्य नियमों की अनदेखी की गई हैं। इस प्रकार जैर निगरानी

अति. जिला कलेक्टर पाली

आज्ञा एवं उनकी पालना में जारी पट्टा विधि सम्मत नहीं है, इस कारण हस्तगत निगरानी याचिका में प्रश्नगत आज्ञा एवं उसकी पालना में जारी पट्टे को कायम रखा जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता हैं।

परिणामस्वरूप अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका आंशिक स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत सियाट द्वारा मिसल संख्या 52 दिनांक 05.04.2006, प्रस्ताव संख्या 7 दिनांक 06.10.2007 एवं उसकी पालना में जारी पट्टा संख्या 48 बुक संख्या 90 को अपास्त किया जाता हैं। निर्णय की सत्यप्रति के साथ ग्राम पंचायत का अभिलेख, ग्राम पंचायत सियाट को इस आशय से प्रतिप्रेषित की जाती है कि वे पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 में विहित प्रक्रिया की पालना करते हुये विधिसम्मत निर्णय पारित करे।

निर्णय आज दिनांक 29/12/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

(डॉ. बजरंग सिंह)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली

अति. जिला कलेक्टर पाली